(क) निविदा की सामान्य शर्तें (जो एकरारनामा का अंश होगा)

1. कार्यालय द्वारा नाजीर रसीद के माध्यम से निर्गत निर्धारित प्रपत्र (Annexure-1 & Annexure-2) मे ही दिया गया तकनीकि एवं वित्तीय निविदा मान्य होगा। अन्य प्रपत्रो में दिया गया निविदा मान्य नहीं होगा। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा (प्रत्येक लिफाफा मुहरबन्द/सीलबन्द अलग–अलग होना आवश्यक है तथा इन दोनो लिफाफा को एक बड़ी लिफाफा में डालकर सीलबन्द/मुहरबन्द कर जिला निर्वाचन कार्यालय, जहानाबाद में निर्धारित अवधि तक जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात निविदा मान्य नही होगा।
2. अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर किये हुये तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
3. निविदा के साथ संलग्न की जानेवाली कागजातों की मूल प्रति निविदा खोलते समय उपलब्ध रहना चाहिए। बाद में जमा करने संबंधी किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
4. किसी विवाद की स्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद का निर्णय अंतिम होगा ।
5. सभी कार्य ERO Net पर ऑनलाईन माध्यम से किया जायेगा। चयनित फर्म को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, निर्वाचन विभाग, पटना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद के दिशा–निर्देश के आलोक में एकरारनामा करते हुए कार्य करना होगा।
6. चयनित वेंडर द्वारा कार्यादेश के बाद कार्य नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई Earnest Money बैंक गारंटी राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसी दर एवं विशिष्टियों पर दूसरे फर्म को कार्य हस्तांतरित कर दिया जायेगा ।
7. चयनित कार्यकारी एजेंसी को कार्यादेश की प्राप्ति से पूर्व एकरारनामा(Agreement) करना होगा । एकरारनामा(Agreement) से पूर्व चयनित एजेंसी को अग्रधन के रुप में 100000.00 (एक लाख रूपये) राष्ट्रीयकृत बैंक गारंटी के रुप में जिला निर्वाचन कार्यालय, जहानाबाद में जमा करना होगा।
8. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली/निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा निर्धारित अवधि/शर्तों/निदेश के अनुरूप कार्य नहीं होने की स्थिति में बैंक गारंटी की राशि एवं सुरक्षित राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. चयनित फर्म द्वारा सफलतापूर्वक समयबद्ध ढंग से कार्य निष्पादन के उपरांत भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती कर ली जाएगी।
10. निर्वाचक सूची के मूद्रण या अन्य कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने एवं विलम्ब की स्थिति में भुगतान का दावा नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
11. फोटोयुक्त मतदाता सूची के निर्माण में मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए **SOFTWARE** की मदद से **INTEGRATION** तथा **CONSOLIDATION** करने पर उसका अलग से चार्ज देय नहीं होगा।
12. किसी तरह का विवाद का निपटारा व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद में होगा।
13. इच्छुक निविदाता को ई0आर0ओ0 नेट के माध्यम से कार्य करने हेतु प्रत्येक विधानसभा के लिए निम्नलिखित आधारभूत संरचना स्थापित करना अनिवार्य होगा :–

    (I) प्रत्येक विधानसभा के लिए कम से कम 5 उच्च गुणवत्ता का कम्पयूटर सेट स्थापित करना अनिवार्य होगा। स्थापित किये जाने वाले कम्पयूटर का प्रोसेसर इन्टेल **core-i 7** में अथवा उच्च श्रेणी का होना अनिवार्य होगा, जिसमें 2 जी0वी0 का **RAM** स्थापित हों। प्रत्येक कम्पयूटर के हार्ड डिस्क की क्षमता **1000 GB** न्यूनतम होना अनिवार्य है।

    (II) कार्यस्थल पर कार्य के दौरान 3 **KVA** क्षमता का **online UPS** जिसका बैकअप क्षमता कम से कम एक घंटे का हो स्थापित किया जाना होगा।

    (III) प्रत्येक विधानसभा के लिए निर्वाचक सूची की तैयारी एवं मुद्रण हेतु कम से कम एक रंगीन/श्वेत श्याम **Heavy Duty** लेजर प्रिंटर**/ADF Scanner** स्थापित करना होगा। स्थापित किये जाने वाले प्रिंटर उच्चतम श्रेणी का होना चाहिए।

    (iV) चूँकि सम्पादित किये जाने वाले कार्य इन्टरनेट के माध्यम से ई0आर0ओ0 नेट के तहत सम्पन्न होगा, अतः स्वयं के खर्च पर प्रत्येक विधानसभा के लिए दो ब्रॉड बैंड एवं BSNL के अतिरिक्त दो विभिन्न कम्पनियों का अलग नेट कनेक्टिविटी की सेवा स्थापित करनी होगी।

    (V) इच्छुक निविदादाता को कार्य स्थल पर स्वयं के खर्च पर विद्युत कनेक्टिविटी एवं 10 के0वी0ए0 का एक सेट जेनरेटर कार्य के दौरान अवस्थापित करना होगा।

    (VI) इच्छुक निविदादाता को प्रत्येक विधानसभा के लिए कम से कम पाँच कम्पयूटर एवं दो पालियों में पॉच कुशल कम्पयूटर ऑपरेटर की व्यवस्था कार्यस्थल पर कार्य के दौरान करना होगा। कार्यस्थल के

M

रूप में ए0ई0आर0ओ0 कार्यालय/ई0आर0ओ0 कार्यालय/जिला स्तर पर कार्य करना होगा। एतदर्थ उन्हें केवल कमरा उपलब्ध कराया जाएगा।

(VII) चयनित फर्म को स्थापित किये जाने वाले सभी कम्पयूटरों में **window 10 Professional, MS Office 2010** एवं **adobe Reader/ Writer** का **licensed Version** स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावे आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित एवं आवश्यकतानुसार स्थापित किये जाने वाले Software की भी अधिष्ठापना करना अनिवार्य होगा। जिसके लिए कोई भी अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

(VIII) इच्छुक निविदादाता को प्रत्येक विधानसभा के लिए **Quick Heal अथवा अन्य Antivirus 2021** प्रयुक्त होने वाले सभी कम्प्यूटरों में स्थापित करना होगा।

14. चयनित कार्यकारी एजेंसी को Sub Contract की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा करने पर Legal Action लिया जायेंगा एवं कार्यादेश वापस लेते हुये जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही किये गये कार्यो के विरूद्व भुगतान का दावा नहीं किया जा सकेगा। इस आशय का शपथ पत्र तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
15. फर्म को लेजर प्रिंटर्स से मुद्रण करने में **ORIGINAL TONER** का प्रयोग करना होगा तथा किसी भी परिस्थिति में **REFILLED TONER** से कार्य स्वीकार्य नहीं होगा । फोटोयुक्त मतदाता सूची का मुद्रण लेजर प्रिंटर्स से एवं 75 जी0एस0एम0 A4 साईज पेपर पर ही किया जाएगा, तथा छायाप्रति मान्य नहीं होगी।
16. वगैर कोई कारण बताए निविदा रद्द करने/संशोधित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा। वित्तीय एवं तकनीकि निविदा खोलने के पश्चात् अपूर्ण/बगैर हस्ताक्षर, मुहर के होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
17. तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों की क्रमवार सूची (Index) हस्ताक्षर कर लगाना अनिवार्य होगा।
18. भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय द्वारा ERO Net के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये Software को छोडकर वेण्डर को किसी भी परिस्थिति में अपने किसी अन्य Software के माध्यम से कार्य की अनुमति नहीं दी जायेगी।
19. निविदादाता को फोटो मतदाता सूची निर्माण संबंधी सभी कार्य जिला मुख्यालय में करना होगा तथा जिला में एक प्रतिनिधि को स्थायी रूप से रखना होगा जो उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से समन्वय स्थपित कर कार्य निष्पादन करायेंगे ।इस हेतु ERO/AERO/DEO/DYEO को डाटा प्रविष्टि हेतु समुचित एवं पर्याप्त संसाधन (मानव एवं तकनीकी) फर्म द्वारा अपने खर्च पर उपलब्ध कराया जायेगा ।
20. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–पटना द्वारा एवं जिला स्तर से दी जानेवाली कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने का, जिला मुख्यालय, जहानाबाद/अनुमंडल मुख्यालयों/प्रखण्ड मुख्यालयों में रहकर कार्य करने का, निर्वाचक सूची की तैयारी निर्वाचन विभाग, पटना द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप कार्य करने का, मुद्रण संबंधी कार्यों में ऑरिजनल टोनर का प्रयोग करने का एक साथ समेकित रूप से **UNDER TAKING** देना होगा।
21. चयनित एजेन्सी को निर्वाचन संबंधी डाटा की सुरक्षा के संबंध में Non disclosure Agreement करना होगा।
22. वेन्डर द्वारा उन्हें कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये सभी आवेदनों को क्रमवार सुरक्षित रूप से संधारण किया जायेगा एवं ई0आर0ओ0/ए0ई0आर0ओ0 को कार्य के पश्चात वापस किया जायेगा।
23. सर्विस प्रोवाईडर/वेण्डर द्वारा उन्हें सौपे गये सभी कार्यो के संबंध में पूर्ण गोपनीयता रखी जायेगी। नियमानुासर सही–सही कार्य किया जायेगा। उन्हें उपलब्ध सूचनाओं एवं इसपर आधारित ऑकड़ो को किसी अनाधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध नही कराया जायेगा। इस आशय का Undertaking देना होगा। इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
24. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार कार्य का स्वरूप/प्रकृति एवं प्रक्रिया के समय–समय पर परिवर्तन के आलोक में संबंधित सर्विस प्रोवाईडर/वेंडर द्वारा तदनुसार भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार/जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अद्यतन निदेश के आलोक में कार्य किया जायेगा।

25. फर्म को जिला मुख्यालय/अनुमंडल मुख्यालय/प्रखण्ड मुख्यालय मे रहकर कार्य करना होगा तथा जिला में एक प्रतिनिधि रखना अनिवार्य होगा। मुख्यालय से बाहर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। ई0आर0ओ0/ए0ई0आर0ओ0 स्तर पर डाटा प्रविष्टि हेतु संसाधन अपने खर्च पर उपलब्ध कराना है। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। सभी कागजातो के सत्यापन हेतु मूल प्रति निविदा खोलते समय देनी होगी। फर्जी या गलत पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
26. निर्वाचक सूची की तैयारी के पश्चात् अपने कम्प्यूटर पर संधारित सम्पूर्ण डाटा सम्बंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष हटाना होगा और हटाने के उपरांत एक शपथ पत्र देना होगा।
27. तकनीकी निविदा में दिये गये शर्तों का पालन करने वाले फर्म का ही वित्तीय निविदा (जो सील बंद होनी चाहिए) जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी ।
28. सफल निविदादाता द्वारा निविदा की सभी शर्तो के अनुसार 1000 के मुद्रांक पर एकरारनामा करना होगा।
29. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रतिदिन विलंब के लिए 1000.00 (एक हजार) रू० प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रावार कटौती की जायेगी तथा एक सप्ताह के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुये जमा जमानत राशि एवं बैंक गारंटी राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा ।
30. सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन के उपरांत भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
31. निविदा के दौरान कई जिलों में निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर काफी कम दिये जाने के कारण व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न होने की समस्या रहती है ।जिला क्रय एवं दर निर्धारण समिति विगत वर्षों के प्रमंडल या आस पास के जिलों में निर्धारित दर (औसत) बाजार सर्वेक्षण दर के आधार पर किसी अवयवों के लिए अंकित दर से काफी कम होने की स्थिति में उक्त सामग्री का दर तथ्यहीन या अमान्य करने के लिए निर्णय लिए जाने हेतु स्वतंत्र होगी ।उसी तरह से यदि न्यूनतम दर बाजार से अधिक हो तो बाजार दर से अधिक मान्य नहीं होगा ।
32. उपरोक्त शर्तों के अलावे समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित शर्तों/निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा ।

(ख) निविदा की <u>तकनीकी शर्ते</u>:–

1. निविदादाताओं को GST (Goods & Service Tax) के अंतर्गत् निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
2. निविदादाताओं को बिहार Shop & Establishment act. के अंतर्गत् निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
3. फर्म का आयकर संख्या (PAN) का प्रमाण पत्र देना होगा तथा विगत तीन Assessment वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21 Assessment Year) का आयकर विवरणी देना होगा।
4. फर्म को तीन वित्तीय वर्षो यथा– 2018–19, 2019–20, 2020–21 में IT एक्ट की धारा 44 AB के तहत दाखिल आयकर विवरणी के अनुरूप प्रत्येक वर्ष **5000000.00 (पचास लाख)** टर्नओवर का Audited Balance Sheet संलग्न करना होगा।
5. Employees Provident Fund organisation (EPFO) एवं Employees State Insurance Corporation (ESIC) के अंतर्गत निबंधित होना अनिवार्य है। साथ ही संस्था में कार्यरत कम से कम 20 तकनीकी एवं अन्य कर्मी कंपनी फर्म के पेरौल पर कार्यरत है तो इस हेतु अद्यतन इपीएफओ चालान की प्रति संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता फर्म को इस कार्य हेतु 20 सक्षम तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता संबंधी पूर्ण विवरणी, नाम, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड की स्वअभिप्रमाण्ति छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. फर्म का स्वंय का कार्यालय बिहार राज्य में होना अनिवार्य है। इस हेतु कार्यालय स्वामित्व प्रमाण पत्र/किराया की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध की प्रति एवं किराया की प्राप्ति रसीद की अद्यतन प्रति संलग्न करना होगा।
8. तकनिकी निविदा के साथ मो0 **100000.00 (एक लाख रूपये)** का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता फर्म को ई0आर0ओ0 नेट के तहत फोटोयुक्त निर्वाचक सूची कार्य का किसी एक जिला का समस्त कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। एतदर्थ जिला द्वारा निर्गत कार्यादेश/अनुभव प्रमाण

पत्र की प्रति संलग्न करना होगा। सब कॉन्ट्रैक्ट के अधीन किया गया कार्य अनुभव की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा।

10. निविदादाता यदि Limited/Private Limited Company है तो उसे कम्पनी ऐक्ट 1956 के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए । वैसे निविदादाता जो Proprietorship or Partnership Firm के रूप में निबंधित है, निविदा के लिए मान्य है (Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा), जबकि निविदादाता का Consortium होना मान्य नही होगा।
11. निविदादाता के फर्म का काली सूची (Blacklist) में नहीं डाले जाने अथवा किसी जिला के निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं किये जाने एवं प्राथमिकी दर्ज नही होने का शपथ–पत्र (मूल प्रति में) संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
12. राजनैतिक दल से संबंद्धता/संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करें।
13. निर्वाचन डाटा की सुरक्षा संबंधी Non Disclosure Agreement का निर्वाचक सूची निर्माण हेतु प्रयोग किये जाने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना होगा अर्थात् इस आशय का Undertaking देना होगा कि निर्वाचक संबंधी समस्त डाटा एवं आधारित आंकड़े पूर्णतया गोपनीय रखे जायेंगें एवं इन्हें किसी अनाधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
14. फोटो रौल निर्माण में प्रयोग की जाने वाली कागज का स्वहस्ताक्षरित नमूना भी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
15. संलग्न सभी प्रमाण–पत्र एवं कागजात सही है इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करेंगे।

(ग) वित्तीय निविदा कि शर्तें :–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. वित्तीय निविदा में फोटो निर्वाचक सूची से संबंधित दर सभी करों सहित निर्धारित प्रपत्र (Annexure-2) में देना होगा ।

उपरोक्त शर्त्तों के अलावे समय–समय पर निर्वाचन विभाग, पटना या भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निदेशों निर्धारित/शर्त्तों का पालन करना होगा । बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

30.9.21

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।